

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 19]

No. 74]

DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

[N.C.T.D. No. 19]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

फा.सं.एफ.8(193)/सी. एफ/टी. ए/07-08/3345-52.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सभी पिछली अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल धारा 4 तथा 7 में यथाउल्लिखित उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु वृक्ष प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- | | |
|---|--------------|
| i. सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली सरकार | — अध्यक्ष |
| ii. श्री मदन लाल, सदस्य दिल्ली विधान सभा, दिल्ली | — सदस्य |
| iii. कु0 भावना गौर, सदस्य दिल्ली विधान सभा, दिल्ली | — सदस्य |
| iv. अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक वन, दिल्ली सरकार, दिल्ली | — सदस्य |
| v. उप-आयुक्त, दिल्ली, विभागीय आयुक्त, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| vi. निदेशक (बागवानी), दिल्ली नगर निगम (उत्तरी/दक्षिणी/पूर्वी) | |
| {4 महीने के लिए नियमित आवर्तन} | — सदस्य |
| vii. निदेशक (बागवानी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| viii. उप-वन संरक्षक, (मु0) दिल्ली सरकार, दिल्ली | — सदस्य सचिव |

दो सदस्यों को पर्यावरण वकीलों और पर्यावरण दिल्ली की गैर सरकारी संगठनों के बीच से दो वर्ष की अवधि के लिए सहयोजित किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव(पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd April, 2016

No.F.8(193)/CF/TA/07-08/ 3345-52.—In exercise the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) and in supersession of all the previous notifications dated 28/12/2011 relating to the constitution the Tree Authority, the National Capital Territory of Delhi, comprising of the following:-

-
- | | |
|---|--------------------|
| i. Secretary (Environment & Forest), Government of NCT of Delhi | - Chairman |
| ii. Shri Madan Lal, Member of the Legislative Assembly of NCT of Delhi | - Member |
| iii. Ms. Bhawna Gaur, Member of the Legislative Assembly of NCT of Delhi | - Member |
| iv. Addl. Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of NCT of Delhi | - Member |
| v. Deputy Commissioner, Delhi (now Divisional Commissioner, Delhi) | - Member |
| vi. Director (Horticulture.), MCD (North/ South/ East) {By rotation for 4 months} | - Member |
| vii. Director (Horticulture.), NDMC as representative of the local bodies | - Member |
| viii. Dy. Conservator of Forests (HQ), Govt. of NCT of Delhi. | - Member Secretary |
-

Two members may be co-opted for a period of two year from amongst Environment Lawyers and Environment, NGOs of Delhi

By Order and in the Name of the Government of
National Capital Territory of Delhi,

KULANAND JOSHI, Spl. Secy. (Environment, Forests & Wildlife)